बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-विविध-50/10 8790 खाद्य-पटना/दिनांक- 21/10/2011

प्रेषक,

के0 सी0 झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभुकों को अच्छी गुणवता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या- 5960 दिनांक 05.07.2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा अच्छी गुणवता के खाद्यान्न का उठाव करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए गये है । इसके अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न का संयुक्त नमूना लेने एवं अच्छी गुणवता पाये जाने पर ही उठाव करने का निदेश है । संयुक्त नमूना लेते समय जिला द्वारा निरीक्षक एवं उपर स्तर के पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त करने हेतु आग्रह किया गया है । इसके बावजूद ऐसा पाया जा रहा है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभुकों को कतिपय विक्रेताओं द्वारा निम्न गुणवता/सड़ा हुआ खाद्यान्न आपूर्ति कर दिया जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि उक्त विभागीय निदेशों का अनुपालन सम्यक तरीक से नहीं हो रहा है और जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निम्नगुणवता/सड़ा हुआ खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाती है ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभुकों को अच्छी गुणवता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकार से स्पष्ट निदेश के बावजूद लाभुकों को निम्नगुणवता/सड़ा हुआ खाद्यान्न आपूर्ति होना अत्यंत ही गंभीर चिंता का विषय है, अतः इस पर पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की आवश्कता है । इसके लिए भारतीय खाद्य निगम से निम्नगुणवता का खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रथमतः गोदाम प्रबंधक जिम्मेवार माने गये हैं, इसी प्रकार ऐसे खाद्यान्न की आपूर्ति विक्रेताओं को करने के लिए भी उनके साथ-साथ संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक जबावदेह हो जाते हैं । अन्ततः निम्नगुणवता के खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी दोषी है ।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि लाभुकों को अच्छी गुणवता का खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं सड़े एवं निम्नगुणवता का खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली की दुकानों से होने की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित गोदाम के गोदाम प्रबंधक, संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को संयुक्त रूप से जिम्मेवार मानते हुए कार्रवाई की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

20/10/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-50/10 8790 खाद्य-पटना/दिनांक- 21/10/2011

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छी गुणवता का खाद्यान्न आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

20/10/11

ज्ञापांक- प्र06-विविध-50/10 8790 खाद्य-पटना/दिनांक- 21/10/2011

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/10/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-50/10 8790 खाद्य-पटना/दिनांक- 21/10/2011

प्रतिलिपि - आई0टी0 पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक 'कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/10/11

सरकार के अपर सचिव ।